



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालयमेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1968
दिनांक :- 6-8-2025

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
02. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर, मेरठ।

विषय:- स्वतंत्रता के अमृतकाल में स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15.08.2025 को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त शिक्षा निदेशक (उ0प्र0), प्रयागराज के कार्यालय पत्रांक: डिग्री विकास/1321/2025-2026, दिनांक 04.08.2025 एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक: 1951/सत्तर-3-2025-1953835, दिनांक 29.07.2025 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक: 351/90-स0-2-2025, दिनांक 23.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष पर्यन्त हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको उपर्युक्त पत्र की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि आप पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यक्रम आयोजित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव प्रतिकुलपति को मा0 प्रतिकुलपति महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समन्वयक, साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

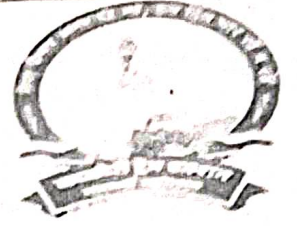
/

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रारम्भ

अभ्यन्त मन्त्रालय/ई. पाठ/लखनऊ/समग्र

शिक्षा निदेशक (उ०गि०)
शिक्षा द्वितीय विकास अनुभाग
प्रयागराज।



संज्ञा से

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

प्रमाण - द्वितीय विकास 1321

2025-26

दिनांक 04/08/2025

विषय - स्वतंत्रता के अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15.08.2025 को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

सहायक

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1951 सन - 3 - 2025 - 1953835 दिनांक 20 जुलाई, 2025 का संदर्भ प्रदान करने का कष्ट जो जो स्वतंत्रता के अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15.08.2025 को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में है।

आप सभी कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस पत्र के साथ शासन शासन के पत्र के क्रम में स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष पर्वन् समारोह समिधान, समारोह ग्याभिमान की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त की समस्त कृत कार्यवाही की आख्या निदेशालय की ई - मेल आईडी 0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराये जिसमें शासन जो समयान्तर्गत आख्या सूचना प्रेषित की जा सके।
सतर्क - यथाक।

भवदीय,

Digitally signed by
AJIT KUMAR SINGH

04/08/2025

सहायक शिक्षा निदेशक (उ०गि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०गि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रमाण संख्या - द्वितीय विकास

आज्ञा तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त से प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों को अपने स्तर से अवगत करना सुनिश्चित करें।

डॉ० (अजीत कुमार सिंह)

सहायक शिक्षा निदेशक (उ०गि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०गि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

महत्वपूर्ण/समयवद्ध
संख्या-1951/सत्तर-3-2025-1953835

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा
अधिकारी, उ०प्र०।

4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क
अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च
शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2025

विषय: स्वतंत्रता के अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15.08.2025 को सम्पूर्ण प्रदेश में
उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-351/90-सं-2-2025, दिनांक 23.07.2025 (छायाप्रति संलग्न), जो समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० को सम्बोधित एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
PREM KUMAR PANDEY
Date: 29-07-2025 भवदीय,
14:52:44

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

११/११/११
२०.०७.२०२१

उनका बड़ा चित्र लगाकर उस पर गाल्यार्पण अथवा पुष्पांजलि अर्पण के साथ) पर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण के सम्बन्ध में मनीषियों एवं विधि वेत्ताओं की भूमिका पर वाद-विवाद, गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन कराया जाय। इस हेतु समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं स्वायत्तशासी कार्यालयों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 51 क के अन्तर्गत उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों एवं अद्यतन संविधान संशोधनों पर व्याख्यानमाला आदि का आयोजन किया जाय।

- (iii) सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय। संविधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित ग्रामों में संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष समारोह का आयोजन किया जाय।
- (iv) प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) में ध्वजारोहण/ प्रार्थना सभा आदि के उपरान्त संविधान के उपबन्धों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य /राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं संविधान में किए गए नवीन संशोधनों आदि के सम्बन्ध में विजय का आयोजन किया जाय। स्कूल/कालेजों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा संवैधानिक मुद्दे जिसमें विशेष रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना संविधान के माध्यम से किए जाने हेतु एवं संविधान में समय-समय पर किए गए वृद्ध एवं नवीन संशोधनों के आलोक में वाद-विवाद / सेमिनार एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय।
- (v) यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सभी आयोजन खण्ड विकास अधिकारियों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किये जायेंगे तथा जिला स्तर पर इसका पर्यवेक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं में आयोजित होने वाले उक्त कार्यक्रमों में सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं उनके द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जायेंगी।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को स्वस्तर से यथावश्यक निर्देश निर्गत करते हुए तत्सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाई सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाई की सूचना संसदीय कार्य विभाग को पत्र एवं ईमेल आईडीO-sansadeeya2@gmail.com पर उपलब्ध कराने एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम से सम्बन्धित तस्वीरें www.constitution75.com पर अपलोड भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

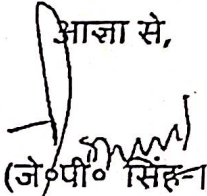
(मनोज कुमार सिंह)

मुख्य सचिव।

संख्या- 351 (1)/90-सं-2-2025 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ।
- 2- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 5- अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
- 6- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 7- अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
- 8- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 9- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 10- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
- 11- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 12- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
- 13- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
- 14- प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
- 15- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(जे.पी. सिंह-11)
प्रमुख सचिव।